तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 72/19 मुरारीलाल vs परसादी प्रापत्र 212 एलआर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/9/22	पत्रावली आज पेश हुई, पत्रावली वास्ते बहस TI दिनांक 13/09/22 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी नगर (भरतपुर)	
13/9/22	अभिभाषक संघ द्वारा कार्य का बहिष्कार रखा गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22/9/22 को पेश हो	
22/09/22	आज पत्रावली पेश हुई, प्रार्थना-पत्र TI पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई, पत्रावली वास्ते आदेश TI दिनांक 06/10/22 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी नगर (भरतपुर)	
06/10/22	पत्रावली प्रस्तुत हुई, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-212 RTA पर दिनांक 13/11/19 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण परसादी वगैरा को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया गया था कि वे दिनांक 25/11/19 आ० ख० नं० 3135/611 0.15 वाके कस्बा नगर तह० नगर में प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार मुदाखलत मजाहमत न करें। इसके पश्चात आगामी तारीख पेशियों तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रवृत्त रही। प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थीगण की जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। जिसमें प्रार्थी अधिवक्ता ने TI के तथ्यों की बहस ... में अपने कथन में ... कि प्रार्थी की कृषि भूमि पर अकृषि प्रयोजन का आधार नहीं है। विo आराजी में सभी भाइयों की सहखातेदारी की ... उप खण्ड अधिकारी नगर (भरतपुर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anurag Harit
Date: 2024.10.05 16:06:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

छोटेलाल व परसादी ग्राम 72/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	आराजी है जिसमें अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है अतः प्रार्थना-पत्र काबिल खारिज योग्य है। पत्रावली का समग्र अध्ययन/अवलोकन किया गया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। इसके उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि- अप्रार्थीगण अपने कथनों को प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं कर पाया। यदि गैरसायलान को सीमा संबंधी किसी प्रकार की शंका है तो सीमाज्ञान करवाकर आगामी कानूनी कार्यवाही कर सकता है। अतः आदेश है कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 13/11/2019 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को जारी रखा जाना न्यायालय न्यायोचित समझता है अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को वाद के निस्तारण तक संपुष्ट किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 06/10/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल सलंग्न वाद रहे। (सुरेन्द्र प्रसाद) उप खण्ड अधिकारी नगर (भरतपुर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anurag Harit
Date: 2024.10.05 16:06:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner